

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2025—माघ 3, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र. एफ-49-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016-59.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचित निम्नलिखित विधायकों को, अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य नामांकन अधिसूचित किया जाता है :—

1. माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह यादव,
ग्राम-सुरेल, पोस्ट खिलकाटांका, तहसील चन्देरी,
जिला अशोकनगर (म. प्र.).
2. माननीय श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह,
यथुनाथ नगर, डायवर्सन रोड,
जिला भिण्ड (म. प्र.).
3. माननीय श्री साहब सिंह गुर्जर,
ओदपुर महलगांव, अलकापुरी सिटी सेन्टर गिर्द,
जिला ग्वालियर (म. प्र.).

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.